[illegible]

प्रतिवादीगण की हत्या हेतु प्रकरण वर्ष 2013 से विचाराधीन है। वकील वादीगण के लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद भी तलबी नहीं हुई है। फिर भी न्यायहित में वकील वादी की इच्छानुसार अंतिम अवसर दिया जाता है। P.I.F. सात दिन के अन्दर ही पेश करें। सात दिन में पेश होने पर जारी होकर तामीली अग्रिम दिनांक 20.1.17 को पेश हो।

20.1.17 [illegible] लाया गया।

वकील वादीगण द्वारा चार वर्षों से प्रतिवादीगण की हत्या की है सही पता मालूम P.I.F. सात दिन में नहीं किये जा रहे हैं। तथा जो प्रतिवादी फौत हो गये हैं उनके वारिसान प्रकरण को रद्द कर लेने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। तथा वकील वादी द्वारा आज No Instruction Plead किया है। जिस पर वादीगण को न्यायालय समय में एक-एक कर तीन बार आवाजें लगवाई गयी। इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से वादीगण एक हाजरी व एक पेशी के खर्चे में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर रोस्टर से कम हो।

[illegible] 23.3-10-5,00,000 [illegible]

निर्णय सदर इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला–जालोर)